



:: सीटीजन चार्टर ::

वाणिज्यिक कर विभाग, छत्तीसगढ़

अनुक्र.	करदाताओं को दी जाने वाली सेवा	प्रावधानित अधिनियम/नियम	कार्यवाही की समय-सीमा	विहित प्राधिकारी
1	<p>पंजीयन :-</p> <p>(ए) करदाताओं को पंजीयन जारी किया जाना</p> <p>(i) प्रान्तीय अधिनियम</p> <p>(ii) केन्द्रीय अधिनियम</p> <p>(बी) स्रोत पर कटौती का दायित्व आने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन</p>	<p>धारा 16(1) एवं 16(2) के अंतर्गत</p> <p>धारा 7(1) एवं 7(2) के अंतर्गत। रु. 25/- कोर्ट फीस चस्पा सहित।</p> <p>धारा 18 के अंतर्गत</p>	<p>आवेदन प्राप्ति के दिनांक को</p> <p>प्राधिकारी द्वारा नियत तिथि</p> <p>आवेदन प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के भीतर</p>	<p>वृत्त कार्यालय के प्रभारी वाणिज्यिक कर अधिकारी</p>

Signature


Signature

Signature

Signature

2	<p>पंजीयन में संशोधन :-</p> <p>(ए) प्रान्तीय अधिनियम</p> <p>(बी) केन्द्रीय अधिनियम</p>	<p>धारा 16 (9) के अंतर्गत</p> <p>धारा 7 (4) एवं नियम 9 (1) के अंतर्गत</p>	<p>आवेदन प्राप्ति दिनांक के 30 दिवस के भीतर</p> <p>आवेदन प्राप्ति दिनांक के 30 दिवस के भीतर</p>	<p>वृत्त कार्यालय के प्रभारी वाणिज्यिक कर अधिकारी</p>
3	<p>पंजीयन विलोपन :-</p> <p>(ए) प्रान्तीय अधिनियम</p> <p>(बी) केन्द्रीय अधिनियम</p>	<p>धारा 16 (10) के अंतर्गत</p> <p>धारा 7 (4) एवं नियम 9 (2) के अंतर्गत</p>	<p>आवेदन प्राप्ति दिनांक के 6 माह के भीतर</p> <p>आवेदन प्राप्ति दिनांक के 6 माह के भीतर</p>	<p>वृत्त कार्यालय के प्रभारी वाणिज्यिक कर अधिकारी</p>
4	<p>पंजीयन प्रमाण पत्र की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना :-</p> <p>(ए) प्रान्तीय अधिनियम</p> <p>(बी) केन्द्रीय अधिनियम</p>	<p>नियम 13 के अंतर्गत प्रत्येक प्रति के लिए रू. 50/- फीस के भुगतान करने पर</p> <p>नियम 8 के अंतर्गत रू. 5/- (शुल्क, कोर्ट फीस स्टाम्प) के भुगतान करने पर</p>	<p>आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर</p> <p>आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर</p>	<p>वृत्त कार्यालय के प्रभारी वाणिज्यिक कर अधिकारी</p>

5	<p>कर के प्रशमन (Composition) :-</p> <p>(ए) कार्य संविदा या संविदाओं के निष्पादन के लिए</p> <p>(बी) अन्य पंजीकृत व्यवसायी जिनकी वार्षिक कुल विक्रय राशि रू0 50.00 लाख से अधिक न हो</p>	<p>नियम 8 (1) के अंतर्गत</p> <p>नियम 8 (9) के अंतर्गत</p>	<p>30 दिवस के भीतर</p> <p>30 दिवस के भीतर</p>	<p>वृत्त कार्यालय के प्रभारी वाणिज्यिक कर अधिकारी</p>
6	<p>वैधानिक फार्मस का प्रदाय किया जाना :-</p> <p>(‘सी’ फार्म, ‘एफ’ फार्म, ई-1, ई-2 एवं ‘एच’ फार्म)</p>	<p>छत्तीसगढ़ विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम के नियम 8 के अंतर्गत</p>	<p>2 दिवस के भीतर</p>	<p>वृत्त कार्यालय के प्रभारी वाणिज्यिक कर अधिकारी</p>
7	<p>कर समाशोधन प्रमाण पत्र जारी किया जाना :-</p>	<p>नियम 78 के अंतर्गत</p>	<p>आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर</p>	<p>वृत्त कार्यालय के प्रभारी वाणिज्यिक कर अधिकारी</p>
8	<p>कर निर्धारण :-</p>	<p>धारा 21 के अंतर्गत</p>	<p>कालावधि समाप्त होने के दो वर्ष के भीतर</p>	<p>समस्त कर निर्धारण अधिकारी</p>
9	<p>एकपक्षीय आदेश को अपास्त करते हुये पुनः कर निर्धारण</p>	<p>धारा 36 के अंतर्गत</p>	<p>एकपक्षीय आदेश अपास्त किये जाने की तारीख से 6 कैलेन्डर माह के भीतर</p>	<p>समस्त कर निर्धारण अधिकारी</p>







10	भूल का परिशोधन (Rectification of Mistakes) :-	धारा 56 के अंतर्गत	आदेश/आवेदन दिनांक से 6 माह के भीतर	विभाग के समस्त अधिकारी जिनके द्वारा आदेश पारित किया गया है।
11	अपील :-	धारा 48 (1) के अंतर्गत	अपील फाईल करने के दिनांक से एक कैलेंडर वर्ष के भीतर	अपीलीय उपायुक्त द्वारा
12	पुनरीक्षण/निगरानी :-	धारा 43 के अंतर्गत	आवेदन फाईल करने के दिनांक से एक कैलेंडर वर्ष के भीतर	प्राधिकृत निगरानी अधिकारी
13	प्रतिदाय (Refund) :-	धारा 39 के अंतर्गत	प्रतिदाय आदेश के 60 दिवस के भीतर	सहायक आयुक्त एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी
14	स्रोत पर कटौती के लिये व्यावृत्ति (Saving) :-	(1) धारा 28 एवं नियम 44 (4) के अंतर्गत (2) नियम 44 (4) (ख) के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करना	आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर वाणिज्यिक कर अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक से 15 दिवस के भीतर	वाणिज्यिक कर अधिकारी संभागीय उपायुक्त
15	विवादग्रस्त प्रश्नों का अवधारणा (Determination of disputed question) :-	धारा 70 के अंतर्गत	आवेदन प्राप्ति की तारीख से 6 माह के भीतर	आयुक्त, वाणिज्यिक कर